

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत..... सहायक जज क्लर्क (SDO) बायतु मुकाम.....

सुलेमान बनाम सुमान खां वगैरा

किस्म मुकदमा 21-3 आवेदन 111, 128 ARN: 173/2022 मन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>21/04/2022</p> <p>05/05/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री महावीर जीतगार</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128</p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/05/2022 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एड्रेस मिजवाबे गये जिनकी डिलेवर्ड रासिड प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब उपस्थित रहे। न्यायालय समय तीन बजे को वाज लगाई गई जिसमें वाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थी गण हब में था उनसे कोर्ट से डेड लाइन पत्रावली उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्टरी स्थल में लाई जाती है। तब वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक - 01/06/2022 को पेश की।</p>	<p>सहायक जज क्लर्क (SDO) बायतु - बाडमेर</p>

सहायक जज क्लर्क (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/06/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDC) बायतु जिला - दाङमेर</p>

क्रमांक : वाद / 2022 / 877
 न्यायालय उपखा
 प्रार्थी
 सुलेमान पुत्र रिमजु खां,
 जाति तेली, निवासी आहोणी
 की ढाणी, पटवार मण्डल
 तहसील बायतु (बायतु)
 बनाम
 प्रार्थना

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 877

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सुलेमान पुत्र रिमजु खां,
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. सुभान खां पुत्र गुमान खां वगैरा 05,
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 173/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - आहोणी बैनिवालों की ढाणी, पटवार हल्का - माधासर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 808/694, 844/694 रकबा क्रमशः 4.0612, 0.0485 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 878-882

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सुलेमान पुत्र रिमजु खां,
4. विप्रार्थी श्री सुभान खां पुत्र गुमान खां वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
बाड़मेर